राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

वार्षिक रिपोर्ट

2015-16

प्रकाशक :
NCCD
कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली-भारत
का स्वायत्त संगठन

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

दूसरा तल, बी-विंग, जनपथ भवन, नई दिल्ली -110001

वित्त वर्ष 2015-16 हेतु राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी.) की वार्षिक रिपोर्ट

विषय-सूची

ए. लेखा और लेखापरीक्षा 1

बी. स्थापना एच.आर स्थिति(स्ट्रेटस) 2

सी. सोसाइटी की सदस्यता की स्थिति 2

डी. प्रौद्योगिकी और अन्य पहल 3

ई. क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रसार 5

एफ. अनुप्रयुक्त अनुसंधान और अध्ययन 6

जी. आउटरीच एवं जागरूकता (कार्यशाला और सेमिनार) 7

एच. सलाह और अन्य समर्थन 8

आई. एन.सी.सी.डी- उद्देश्य और विषयपरक 10

जे. एन.सी.सी.डी की कार्यकारिणी 12

के. एन.सी.सी.डी की शासी(गवर्निंग) परिषद् 13

एल. वर्ष 2015-16 में एनसीसीडी की प्रत्यक्ष भागीदारी वाले कार्यक्रम, सम्मेलन और बातचीत 14

एम. प्रयुक्त संक्षिप्त और परिभाषाएँ 16

एन. लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक लेखा 17

www.nccd.gov.in
011-23329586

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

दूसरा तल, बी-विंग, जनपथ भवन, नई दिल्ली -110001

वित्त वर्ष 2015-16 हेतु राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी.) की वार्षिक रिपोर्ट

ए. लेखा और लेखापरीक्षा

दिनांक 27-1-2011 को एनसीसीडी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया और इसे सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) पद्धति में काम हेतु संरचित किया गया हैं।

दिनांक 09-2-2012 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदन के बाद, डीएसी एंड एफडब्ल्यू ने एक कॉर्पस स्थापित करने के लिए 25 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया, ताकि उससे होने वाली ब्याज आय, और एनसीसीडी द्वारा उत्पन्न अन्य आय, शुल्क और प्रदान की गई सेवाओं से अर्जित शुल्क का उपयोग इसकी प्रशासनिक, कर्मियों और अन्य लागत, जैसा कि इसकी कार्यकारी परिषद द्वारा तय किया गया है के लिए किया जाएगा।

एनसीसीडी की इस तरह की संरचना की गयी है कि यह प्रत्यक्ष तौर पर सरकारी दखल से दैनिक आधार पर दूर रहे, और सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव का कोई भार न हो ।

वर्ष 2015-16 के लिए एनसीसीडी के खातों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के साथ इस उद्देश्य हेतु सूचीवद्ध मैसर्स एपीएन एंड एसोसिएट्स के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा लेखापरीक्षा किया गया।

वित्त वर्ष 2015-16 के लिए आय और व्यय खाते का सारांश इस प्रकार है:

मद	लाख रुपये में
ब्याज और अन्य आय	314.93
घटाएं : प्रशासनिक व्यय	84.59
व्यय से अधिक आय का आधिक्य	230.34
धारा 11 के तहत सकल आय के 15% पर छूट	47.24
अगले 5 वर्षों हेतु 'सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता' के उद्देश्यों के अलावा शेष राशि	183.10
कुल	230.34

वित्त वर्ष 2015-16 के लिए विस्तृत खाते संलग्न हैं। इस वर्ष के लेखा परीक्षित खाते को गतिविधियों की एक रिपोर्ट के साथ 6वें ईसी को प्रस्तुत किया गया है।

एनसीसीडी को जुलाई 2015 में आयकर अधिनियम की धारा 12ए.ए. के तहत 'सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता' के रूप में पंजीकृत किया गया था, जो इसे प्रत्येक वर्ष अपनी सकल आय के 15% के लिए आयकर से छूट का अधिकार देता है। शेष 85% सकल आय, अनपेक्षित राशि कर के लिए उत्तरदायी है जब तक कि ऐसी राशि निर्धारित न हो अधिनियम की धारा11 (2) के तहत 5 वर्षों के भीतर भविष्य के व्यय के अलावा न हो। अभी तक वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कोई आयकर देयता नहीं है।

www.nccd.gov.in
011-23329586

बी. स्थापना एच.आर स्थिति(स्टेट्स)

श्री संजीव चोपड़ा, सं.सचिव (एमआईडीएच) फरवरी 2013 से 29-9-2015 तक एन.सी.सी.डी निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। श्री पी. शकील अहमद, सं. सचिव (एमआईडीएच) ने दिनांक 23.10.2015 से दिनांक 22.9.2017 तक निदेशक, एन.सी.सी.डी का अतिरिक्त प्रभार संभाला। श्री पवनेष कोहली, कोल्ड-चेन उद्योग के विशेषज्ञ फरवरी 2014 से एन.सी.सी.डी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

एन.सी.सी.डी की कार्यकारिणी/कार्यकारी समिति ने प्रारंभिक तौर पर 13 पदों को मंजूरी दी, जिसके सापेक्ष 31-3-2016 तक केवल 9 कर्मचारी ही थे। 2015 की गर्मियों में, 6 इंटर्न छात्रों को 4 से 6 सप्ताह के लिए सदस्य संस्थानों में शामिल किया गया।

एनसीसीडी की कार्यकारी समिति में सचिव (ए.सी. एवं एफ.डब्ल्यु) की अध्यक्षता में 12 सदस्य शामिल हैं। कार्यकारी परिषद में सचिव (ए.सी. एवं एफ.डब्ल्यु) की अध्यक्षता में 15 सदस्य होते हैं। कार्यकारिणी (ई.सी) और शासी परिषद् (जी.सी) सदस्यों की सूची संलग्न है।

सी. सोसाइटी की सदस्यता की स्थिति(स्टेट्स)

एन.सी.सी.डी सदस्यता मानदंड को 7 जनवरी 2013 को सदस्यता में व्यापक भागीदारी के लिए संशोधित किया गया था। मार्च 2016 तक, एनसीसीडी में 72 सक्रिय सदस्य हैं, जिनमें 7 आजीवन सदस्य हैं और वार्षिक शुल्क पर 65 सदस्य शामिल हैं ।

सदस्यों की श्रेणी-वार सूची:

श्रेणी- शुल्क (रु.)	वार्षिक	जीवनपर्यंत	कुल
कंपनी- सी (50,000 / 4,00,000)	28	5	33
सहयोगी- ए (10,000)	15	-	15
शैक्षिक संस्थान- आर(शून्य)	11	-	11
संरक्षक- पी (20,00,000)	-	1	1
उत्पादक-जी (टर्नओवर <5 लाख - शून्य; - अन्य 10,000)	11	-	11
उद्योग निकाय- I (75,000 / 5,00,000)	-	1	1
	65	7	72

वर्ष 2015-16 में प्राप्त सदस्यता शुल्क 16.97 लाख रुपये है। प्रतिभागी सदस्यों हेतु नामांकन खुला हैं और पूरे वर्ष आवेदन प्राप्त किया जाता हैं। सदस्य हितधारक प्रतिभागियों के रूप में एनसीसीडी की गतिविधियों में शामिल होते हैं और एनसीसीडी के प्रतिनिधि के रूप में ज्ञान प्रसार गतिविधि का कार्य कर सकते हैं। कोल्ड-चेन डेवलपमेंट(एन.आ.सी.डी.) के लिए नोडल अधिकारी, एम.आई.डी.एच के माध्यम से नामांकित किये जाने की उम्मीद है जो राज्य स्तर की गतिविधियों का समन्वय और संपर्क करेंगे। राज्यों में 19 एन.ओ.सी.डी कार्यरत हैं।

www.nccd.gov.in
011-23329586

डी. प्रौद्योगिकी और अन्य पहल

रिफर व्हीकल कॉल-इन-सेंटर (आर.वी.सी.)

इस क्रियाकलाप को सितंबर 2014 में एन.सी.सी.डी सदस्य (महिंद्रा लॉजिस्टिक्स) के साझा संसाधन का उपयोग करके रिफर ट्रांसपोर्टर्स को टेलीफ़ोनी रूप से अपनी शिकायत दर्ज करने की अनुमति देने के लिए (24 x 7) शुरू किया गया था। इस अवधारणा को एनसीसीडी कार्यालय में कार्यालय द्वारा विकसित किया गया था और परियोजना को एम.आई.डी.एच द्वारा राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी (एन.एल.ए) के रूप में एनसीसीडी की वार्षिक कार्ययोजना को किए गए आवंटन के अनुसार समर्थन प्राप्त था। 2015-16 में इसकी कुल लागत 7.71 लाख रुपये है।

31 मार्च-2016 तक, कुल 376 कॉल रिकॉर्ड किए गए थे। इनमें से 19 कॉल ज़बर्दस्ती वसूली (एक्सटॉर्शन) की शिकायत से संबंधित हैं, 5 डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन पर या कॉल करने पर, 10 कॉल टोल प्लाजा पर देरी से और 1 कॉल सीलबंद दरवाजे के खुलने की शिकायत की है। शेष 339 कॉल सामान्य कृषि पूछताछ से संबंधित हैं। हालांकि, कोल्ड-चेन उद्योग से प्रतिक्रिया मिली है कि आरवीसी ने ट्रांसपोर्टर्स की अनावश्यक उत्पीड़न को कम करने में मदद की। एम.आई.डी.एच ने आर.वी.सी. के लिए वार्षिक कार्य योजना में एक अन्य वर्ष हेतु आवंटन जारी रखने का निर्णय लिया है।

दिशा-निर्देश और न्यूनतम प्रणाली मानक

"कोल्ड-चेन परियोजनाओं के लिए न्यूनतम सिस्टम मानक और दिशा-निर्देश" का तीसरा संस्करण मई -2015 में प्रकाशित किया गया था। इसी समय, कृषि और सहकारिता विभाग ने एक नोटिस जारी किया कि ये सिस्टम मानक कोल्ड-चेन अवसंरचना के विकास के लिए न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करते हैं, और इससे पूर्व वर्ष 2010 में जारी किए गए तकनीकी मानकों के स्थान पर इसे माना जाएगा ।

कोल्ड-चेन अवसंरचना के लिए हार्मोनाइज्ड एमआईएस

वर्ष 2015 में क्षमता की स्थिति और गैप अध्ययन के संचालन के दौरान, यह महसूस किया गया कि वर्तमान में प्रचलित कोल्ड-चेन डेवलपमेंट रिकॉर्ड, एजेंसियों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है और कई मामलों में, प्राप्त जानकारी कोल्ड-चेन घटकों या कोल्ड-चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर की निर्मित इकाई क्षमता के बीच प्रासंगिक अंतर को प्रतिबिंबित नहीं करता है। कुछ मामलों में सूचना केवल वित्तीय सहायता (स्वीकृत राशि और प्रदान की गई सब्सिडी) तक सीमित ही थी। अक्टूबर 2015 में, एनसीसीडी ने एक प्रस्ताव किया कि प्रमुख पहचान योग्य घटकों की महत्वपूर्ण जानकारी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार की जाए।

एक प्रस्ताव था कि प्रमुख अवसंरचना घटकों का रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से अलग- अलग होना चाहिए। प्रारंभिक बिंदु के रूप में एम.आई.डी.एच के परिचालन दिशानिर्देशों में परिभाषित बुनियादी ढाँचों के एक मानक शब्दकोष का उपयोग किया जा सकता है। इसमें रिकॉर्ड प्रारूप में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता, प्रत्येक बुनियादी ढांचे के इकाई स्तर की क्षमता और कार्य पूर्ण होने की स्थिति की जानकारी शामिल होगी। इसका मंतव्य एक सामान्य सूचना टेम्पलेट का उपयोग करके, कोल्ड-चेन पर त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करना है।

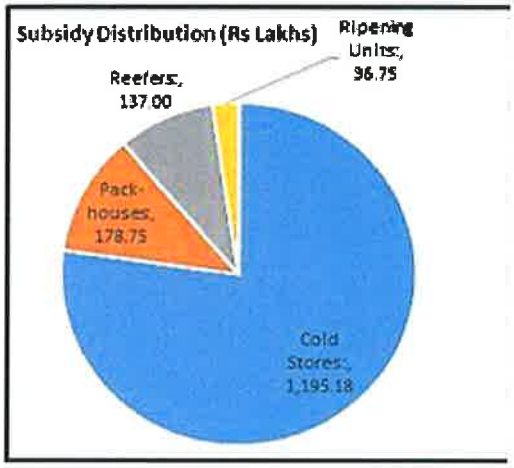

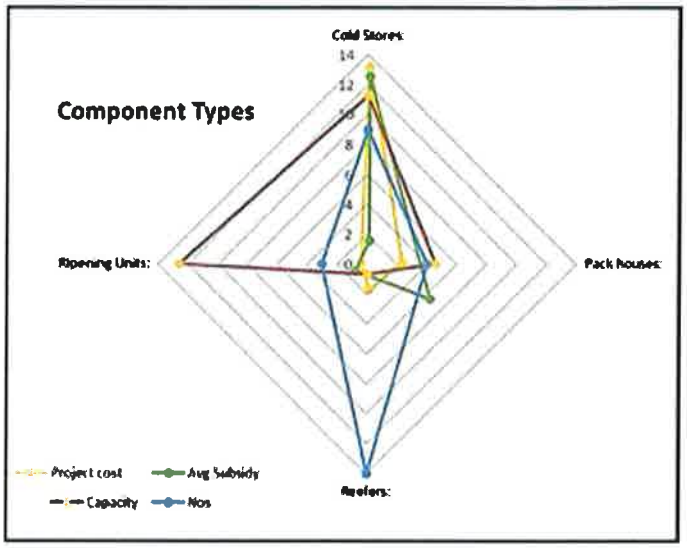

प्रत्येक एजेंसी की जानकारी इसके बाद केन्द्रित रूप से सम्मिलित की जा सकती है और प्रमुख नीति और दिशा निर्धारण निर्णयों में उपयोग के लिए उपयुक्त डैशबोर्ड में दर्शाई जा जाती है। वांछित सूचनाओं के नमूना टेम्पलेट को डी.ए.सी एंड एफ.डब्ल्यू (आई.टी), एम.ओ.एफ.पी.आई, एन.एच.बी, एन.एच.एम से चर्चा के लिए पहले तैयार और परिचालित किए गए थे ।

कोल्ड-चेन विकास के एक केंद्रीय भंडार को शुरू करने के लिए एक सिफारिश की गई कि शुरू में डी.ए.सी एंड एफ.डब्ल्यू के तहत एजेंसियां को एक सामान्य प्रारूप में रिकॉर्ड तैयार रखना हैं। उस निर्णय में परिकल्पना की गई थी नीति -निर्माताओं को विकसित किए गए नए बुनियादी ढांचे में बदलाव की निगरानी और व्यक्तिगत घटकों को सहायता अनुपात के लिए एक डैशबोर्ड प्रदान किया जाएगा। सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर सिफारिश,वर्गीकृत सामान्य डेटा, फ़ार्म-गेट इन्फ्रा, कोल्ड स्टोर, इन्फ्रा, कनेक्टिविटी इन्फ्रा और फ्रंट-एंड इन्फ्रा के लिए न्यूनतम सामंजस्यपूर्ण जानकारी प्रदान की गई थी। बागवानी प्रभाग के उपयोग और आगे की कार्रवाई के लिए टेम्पलेट प्रदान किया गया था।

एकीकृत कोल्ड-चेन उपलब्धता प्लेटफॉर्म (आई.सी.ए.पी.), की सिफारिश सबसे पहले एनसीसीडी द्वारा वर्ष 2012 में की गई थी और पुनः ए.आई.सी.आई.सी. अध्ययन में प्रकाशित किया गया था। आई.सी.ए.पी में निम्नलिखित परिणामों की कल्पना की गई थी:

i. राष्ट्रव्यापी क्षमता के लिए सीधी पहुंच बनाना ।
ii. परिचालन उपलब्धता पर उपयोगकर्ताओं और नियामकों को जानकारी।
iii. कोल्ड चेन संपत्तियों की गतिविधियों को जोड़ने और एकीकृत करने को बढ़ावा देना।
iv. किसान उत्पादक संगठनों को देश भर में शाश्वत आंदोलन की योजना बनाने की अनुमति दें।
v. कोल्ड-चेन क्षेत्र में व्यापार प्रभाव पर कृषि मंत्रालय को जानकारी प्रदान करें।
vi. उपलब्ध कोल्ड-चेन अवसंरचना पर सार्वजनिक खरीद तंत्र के आधार पर योजना बनाने के लिए सरकार को सशक्त बनाना ।
vii. पेरिशबल सेक्टर में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने की क्षमता लाना।
viii. परिसंपत्ति मालिकों के लिए विक्रय मंच के रूप में सेवा प्रदान करना।

www.nccd.gov.in
011-23329586

ix. श्रृंखला में पारगमन में खराब होने वाले सामानों के खरीद-बिक्री लेनदेन को बढ़ावा देना।
x. गैर कोल्ड-चेन-यार्ड को उत्पादन के भौतिक आवागमन के बिना लेनदेन प्लेटफ़ॉर्म के रूप में विपणन कार्य के साथ शीत भंडारण संरेखण की अनुमति देना ।
xi. क्षेत्रीय उपलब्धता और पेरिशबल हेतु ट्रेड लेन्स के लिए कोल्ड-चेन विकास में पारदर्शिता लाना ।
xii. कोल्ड-चेन में ऊर्जा की खपत और इसकी निगरानी के बारे में जानकारी देना ।
xiii. मांग-आपूर्ति अंतर विश्लेषण में सुधार करना और भविष्य की कोल्ड-चेन विकास हेतु मार्गदर्शन करना।

आई.सी.ए.पी को डिजिटल इंडिया प्रोग्राम / डिजिटल एग्रीकल्चर 2.0 (NeGP-A 2.0) लागू करने के लिए चुना गया था। इसे आगे बढ़ाने के लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड (एन.एच.बी.) को नामित किया गया था। एन.सी.सी.डी ने आवश्यकता होने पर स्पष्टता प्रदान करने की पेशकश की है।

परियोजना मूल्यांकन और कार्यस्थल का दौरा

एन.सी.सी.डी परियोजनाओं में संयुक्त निरीक्षण दल (जे.आई.टी) के दौरे में एम.आई.डी.एच के अनुरोध और आवश्यकता होने पर भाग लेती है और कोल्ड-चेन और अन्य परियोजनाओं के मूल्यांकन में समर्थन करता है। 2015-16 में एनसीसीडी उत्तराखंड में एक जेआईटी, 9 कोल्ड-चेन प्रोजेक्ट और 2 फूड प्रोसेसिंग परियोजनाओं का हिस्सा था। राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी की वार्षिक कार्ययोजना में किए गए आवंटन और एम.आई.डी.एच के अनुसार 114 से अधिक परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया।

ई. क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रसार

रिपेनिंग चैंबर्स के लिए उद्यमिता विकास

कार्यशाला में विद्यार्थियों और भावी उद्यमी को संलग्न करने के लिए राइपनिंग कक्षों में साइट पर प्रशिक्षण शामिल है । वर्ष 2014 के बाद से पूरे देश में 4176 व्यक्तियों के लिए कुल 126 प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे । प्रशिक्षण 21 राज्यों (दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल,असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा आदि) में आयोजित किए गए थे। दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन एनसीसीडी सोसाइटी के सदस्य (आई.सी.ई. और सामागरा) द्वारा प्रति कार्यशाला रु. 1.5 लाख के व्यय पर आयोजित किया गया । रिपोर्ट एन.सी.सी.डी के वेबपेज पर अपडेट की जाती हैं। 2015-16 में, रु.108.85 लाख की लागत पर कुल 2391 व्यक्तियों के लिए कुल 66 प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे। व्यय को एन.एल.ए के रूप में एन.सी.सी.डी के वार्षिक कार्य योजना के तहत आबंटन से प्रबंधित किया जाता है। यह देखते हुए कि देश में पकाने की सुविधाओं में 85 प्रतिशत की कमी है और प्रौद्योगिकी एवं सहायता योजना के बारे में जागरूकता की कमी है, एन.सी.सी.डी ने एम.आई.डी.एच से इस क्रियाकलाप को जारी रखने की सिफारिश की।

www.nccd.gov.in
011-23329586

कोल्ड-चेन प्रौद्यागिकी में क्षमता निर्माण

इस क्रियाकलाप को एन.सी.सी.डी सदस्य (डैनफॉस) के साथ इस तरह के प्रशिक्षण के लिए मिनी कोल्ड रूम और उपकरण के साथ एक कस्टम निर्मित शिक्षण केंद्र में विकसित की गई थी। देश में इस तरह का कोई अन्य संस्थान उपलब्ध नहीं है। इस पाठ्यक्रम को अपने देश में ही विकसित किया गया है और इसे सरकारी अधिकारियों और निजी क्षेत्र के लाभ हेतु लागू किया गया है । 3 दिवसीय आवासीय पाठ्यक्रम स्वतंत्र बोर्डिंग / लॉजिंग प्रति व्यक्ति 12,000 रुपये की समावेशी लागत पर है । 2015-16 में, कुल 39 व्यक्तियों को 7 सत्रों में 4.73 लाख रुपये की लागत पर प्रशिक्षित किया गया। व्यय का आंकलन एम.आई.डी.एच द्वारा एन.एल.ए के वार्षिक कार्य योजना में किए गए आबंटन में से वास्तविक आधार पर होता है।

कोल्ड-चेन प्रबंधन प्रशिक्षण

भारत-फ्रांस जे.ए.डब्ल्यु.जी के तहत सहयोग के हिस्से के तौर पर, एनसीसीडी द्वारा भारतीय हितधारकों के प्रशिक्षण के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया था । कार्यक्रम फ्रांस के सेमफ्रॉयड के द्वारा कार्यान्वित किया गया। इसके लिए एनसीसीडी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए है। पाठ्यक्रम भारतीय कोल्ड-चेन विकास की जरूरतों से संबंधित ज्ञान प्रदान करता है। प्रशिक्षण समझ में सुधार लाने और इस विषय पर सरकार और उद्योग के इंटरफेस को सुधारने के लिए दिया जाता है। एम.आई.डी.एच ने एनसीसीडी को एनएलए के रूप में वार्षिक कार्य योजना के तहत प्रति बैच 15 लाख रूपये का बजट अनुमोदित किया है। कार्यक्रम सबसे कम किराया टिकट और अन्य समन्वित व्यवस्था में खर्च करके आयोजित किया जाता है। निजी क्षेत्र के प्रतिभागी यात्रा लागत में योगदान करते हैं। प्रशिक्षण शुल्क और अन्य प्रशिक्षुओं का खर्च,एम.आई.डी.एच के एन.एल.ए के रूप में वार्षिक कार्य योजना आबंटन से वास्तविक आधार पर पूरा किया जाता है।

एफ. अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं अध्ययन

अखिल भारतीय कोल्ड-चेन आधारिक संरचना क्षमता अध्ययन (एआईसीआईसी-2015)

अखिल भारतीय आवश्यकता, भोजन खाद्य मांग अंतराल के परिप्रेक्ष्य में कोल्ड-चेन के बुनियादी ढांचे में निर्मित क्षमता और विद्यमान अंतर का मूल्यांकन के लिए एक व्यापक अध्ययन को एन.ए.बी.सी.ओ.एन. के समर्थन के साथ शुरू किया गया था। ड्राफ्ट रिपोर्ट सभी हितधारक विभागों और एजेंसियों तथा राज्य सरकारों को प्रदान किया गया था। रिपोर्ट 4-सितम्बर 2015 को श्री संजीव बालयन, माननीय कृषि राज्य मंत्री द्वारा जारी किया गया था।

राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट का उल्लेख योजना उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। यह अध्ययन व्यापक रूप से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और एनसीसीडी को इसके दृष्टिकोण और निष्कर्ष को कई मंचों पर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। विभिन्न शिक्षण संस्थानों और संगठनों जैसे आई.एस.एच.आर.ए.ई, एमिटी यूनिवर्सिटी, एन.आई.ए.एम, आई.आई.एम, पी.एच.डी. चेम्बर्स, सी.आई.आई-एफ.ए.सी.ई, इत्यादि ने पुस्तकालयों में उपयोग के लिए अनुरोधित प्रतियां मांगी है। एन.ए.बी.सी.ओ.एन ने भविष्य के अध्ययन के लिए इस पद्धति भी स्वीकार किया है। रिपोर्ट की प्रतियां प्रत्येक राज्य (मुख्य सचिव, प्रधान सचिव) (कृषि / बागवानी) और राज्य बागवानी मिशन) को भेजी गई हैं।

www.nccd.gov.in
011-23329586

इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रकार	इन्फ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता (ए)	इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया (बी)	ऑल इंडिया गैप (ए-बी)	% आवश्यक गैप का हिस्सा
एकीकृत पैक-हाउस	70,080 इकाइयाँ	249 इकाइयाँ	**69,831** इकाइयाँ	**99.6%**
प्रशीतित परिवहन	61,826 इकाइयाँ	9,000 इकाइयाँ	**52,826** इकाइयाँ	**85%**
कोल्ड स्टोरेज (थोक) कोल्ड स्टोरेज (हब)	341,64,411 एम.टी 9,36,251 एम.टी	318,23,700 MT	**32,76,962** एम.टी	**10%**
रिपेनिंग चैंबर्स	9,131 नग	812 नग	**8,319** नग	**91%**

रिपोर्ट ने पहले के इस विश्वास को सही किया है कि देश को 61 मिलियन टन कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है। इसके बजाय, एक स्थिति उभरी कि फार्मोफ़ पैक घरों में फार्म-गेट पर एक बड़ा अंतर मौजूद है और उपर्युक्त विवरण के अनुसार परिवहन इकाइयों का संदर्भ लें। इसका व्यय एम.आई.डी.एच द्वारा अध्ययन के लिए किए गए आबंटन से पूरा किया गया था। रिपोर्ट में एकीकृत कोल्ड-चेन उपलब्धता मंच की पूर्व अवधारणा भी शामिल है और कोल्ड-चेन पर एक राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की गई है।

गतिशील अध्ययन

कटाई के बाद के नुकसान और 23 चयनित फलों और सब्जियों के लिए प्रोटोकॉल के दस्तावेजीकरण पर अक्टूबर 2014 में प्रारंभ अध्ययन जारी है और क्षेत्र के काम की नियमित समीक्षा की जाती है। 2014 में किए गए मालदा आम आंदोलन की तर्ज पर कोल्ड-चेन के बारे में एक पायलट प्रदर्शन के महत्व पर, हितधारक सदस्यों के साथ बातचीत में चर्चा की गई। एन.सी.सी.डी ने उद्योग और अनुसन्धान सदस्यों से अनुरोध किया गया था कि वे पायलट प्रदर्शन के निष्पादन में बारीकी से निगरानी और दस्तावेज़ के लिए जनशक्ति प्रदान करने में योगदान दें। अन्य लोगों में, कैरियर ट्रांसिकोल्ड इंडिया (एक आजीवन सदस्य) इस तरह की परियोजना का समर्थन करने के लिए सहमत हुआ है। स्रोत से बाज़ार तक एक पूर्ण कोल्ड-चेन के प्रदर्शन के लिए, इस तरह की एक समग्र सांख्यिकी लागू की गई है। प्रदर्शन का उद्देश्य आर्थिक मूल्य सहायक का मूल्यांकन, भोजन हानि में कमी और कोल्ड-चेन से एनवायरनमेंट का आकलन करना होगा।

जी. आउटरीच और जागरूकता (कार्यशालाएं और सेमिनार)

कोल्ड-चेन केंद्रित विभिन्न सम्मेलनों में एनसीसीडी ने भाग लिया है । इनमें से कुछ में,एनसीसीडी मुख्य संयोजक है, वित्तीय सहायता को केस-टू-केस आधार पर माना जाता है और डी.ए.सी. एवं एफ.डब्ल्यु के मानदंडों के अंदर रखा जाता है। 2015-16 में, एन.सी.सी.डी ने सीधे विभिन्न आयोजनों में भाग लिया (सूची संलग्न की गई है)। एम.आई.डी.एच द्वारा वार्षिक कार्य योजना में आवंटित राशि से 7 सेमिनारों के लिए 19.41 लाख रुपये का व्यय किया गया था। पूर्वोत्तर के एमआईडीएच की मौजूदा लाभार्थियों की चिंताओं को दूर करने के लिए कार्यशाला एनएचबी और एनएचएम के समर्थन से भी आयोजित की गयी । संरक्षित खेती, नर्सरी, विस्तार आदि पर योजना के बारे में मुद्दों पर सलाह दी गई, जिसमें व्यक्तिगत व्यावसायिक विकल्पों के सर्वाधिक अनुकूल कोल्ड चेन के ऑपरेटिंग मॉडल के बारे में सलाह भी शामिल है।

www.nccd.gov.in
011-23329586

आई.सी.ई एक्सपो. 2015 और पुरस्कार

एनसीसीडी ने नवंबर 2015 में चंडीगढ़ में आई.सी.ई. एक्सपो. 2015 और डैनफॉस आइस अवार्ड्स का समर्थन किया । कोल्ड-चेन उद्योग प्रौद्योगिकी एक्सपो और एन.सी.सी.डी सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। एन.सी.सी.डी के सभी सदस्यों को सम्मेलन में मुफ्त सहायता प्रदान की जाती है। वार्षिक पुरस्कार में हितधारकों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाता है और यह कोल्ड-चेन में उत्कृष्टता को पहचानने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपनी आम सभा की बैठक आयोजित की, जिसमें सी.ई.ओ-एन.सी.सी.डी के साथ बातचीत शामिल है।

अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, कार्यशालाएं

सी.ई.ओ.-एन.सी.सी.डी को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया। उन्होंने यू.एन.ई.पी, एफ.ए.ओ.और डच सरकार द्वारा आयोजित द हेग में जून 2015 में एक वैश्विक सम्मेलन में "नो मोर फूड टू वेस्ट" की दो कार्यशालाओं की अध्यक्षता की। जुलाई 2015 में, उन्हें यू.के के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल फूड क्राइसिस पर एक बहस के लिए आमंत्रित किया गया था, और कोल्ड-चेन पर यूके के नीति आयोग के विशेषज्ञ मौजूद थे। मार्च 2016 में, एशियाई उत्पादकता संगठन ने उन्हें बांडुंग (इंडोनेशिया) में अपने एशियाई खाद्य और कृषि व्यवसाय सम्मेलन में, ज्ञान साझा करने के लिए भारत की पी.पी.पी पहल "एन.सी.सी.डी मॉडल" विषय पर एक कार्यशाला को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। सी.ई.ओ ने कोल्ड-चेन में असहाय क्रायोजेनिक ऊर्जा का उपयोग करने पर 26वें अंतर्राष्ट्रीय क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया, और सिंगापुर में खाद्य क्षति कम करने के लिए वर्ल्ड कोल्ड-चेन शिखर सम्मेलन में एक कार्यशाला की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया। 24 जून, 2015 को बी.बी.सी. वर्ल्ड रेडियो ने आवर्त सारणी और कोल्ड-चेन पर पॉडकास्ट श्रृंखला के लिए सी.ई.ओ.-एन.सी.सी.डी का साक्षात्कार लिया। भारत के कोल्ड-चेन रोडमैप और सरकार द्वारा नवीन विकास हस्तक्षेपों पर व्यापक जागरूकता एनसीसीडी द्वारा प्रचारित की गई है।

एन.सी.सी.डी विद्यार्थी चैप्टर्स

चौ.चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एन.आई.ए.एम) में दिनांक 29.7.2015 को विद्यार्थी अध्याय की शुरूआत की गई । कार्यशाला स्तरीय संवाद के रूप में विद्यार्थियों से बातचीत की गई । एन.सी.सी.डी के सदस्य जो शैक्षणिक संस्थान हैं, वे अपने विद्यार्थियों को सीखने और सरकारी नीतिगत पहलों में योगदान करने और इस क्षेत्र में पेशेवरों के रूप में सेवा करने के लिए ज्ञान के आधार को विकसित करने के साथ-साथ अपेक्षित क्षमता प्राप्त करने में मदद करने के उद्देश्य से विद्यार्थी अध्याय केंद्र खोल सकते हैं। एन.एस.सी कार्यक्रम विद्यार्थियों को प्रौद्योगिकी, कृषि व्यवसाय, विपणन, आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना, पर्यावरण और संबद्ध नीति कार्य के बारे में जानने और बहस करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।

www.nccd.gov.in
011-23329586

एच. सलाहकार और अन्य सहायता

एम.आई.डी.एच के ई.सी, ई.एम.सी और पी.ए.सी के सदस्य के रूप में एन.सी.सी.डी आंतरिक रणनीति, योजना और समीक्षा गतिविधियों में भी शामिल है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आपूर्ति श्रृंखला और कटाई के बाद के प्रबंधन के लिए कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के मुख्य सलाहकार रूप में कार्य करने के लिए भी नामित किया गया है । सी.ई.ओ ने समिति के सदस्य के रूप में डी.ए.सी और एफ.डब्ल्यू में मुख्य सलाहकारों के पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन करने में सहायता की। एन.सी.सी.डी, ए.पी.ई.डी.ए, डब्ल्यु.डी.आर.ए की तकनीकी समितियों का भी सदस्य है। एन.सी.सी.डी ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ बैठकें कीं और कोल्ड-चेन के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर जानकारी प्रदान की और हितधारकों के साथ किसानों और कोल्ड-चेन उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण से एचएफसी रेफ्रिजरेंट के फेज डाउन पर चिंताओं पर चर्चा करने के लिए बैठक की। एन.सी.सी.डी राज्य सरकारों से विशिष्ट अनुरोधों के अनुसार, यथासंभव मार्गदर्शन प्रदान भी करता है और विभिन्न मंचों पर डी.ए.सी और एफ.डब्ल्यू का प्रतिनिधित्व करता है।

कोल्ड-चेन और खाद्य प्रसंस्करण हस्तक्षेपों और कोल्ड-चेन में योजनाओं के अभिसरण पर सुझाव प्रदान देने हेतु एम.ओ.एफ.पी.आई. के सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकें की गईं । एन.सी.सी.डी अगले वर्ष के आम बजट के लिए बजट प्रस्तावों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर कर निहितार्थ प्रस्तावों पर एम.ओ.एफ.पी.आई. हितधारक परामर्श में भी भाग लिया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपकरणों के प्रभावी उपयोग पर एम.ओ.एफ.पी.आई. के साथ अन्य बैठकें शामिल है। एन.सी.सी.डी समर्थन के साथ डीएसी और एफडब्ल्यू और रेलवे और जहाजरानी मंत्रालय के बीच बैठकें भी हुईं।

एन.सी.सी.डी अंतरराष्ट्रीय सहयोग का हिस्सा था और ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, इज़राइल, जर्मनी, जापान और अन्य के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों का हिस्सा था । इंडो-फ्रांस जे.डब्ल्यु.जी के सदस्य के रूप में, वर्ष 2015-16 में जे.डब्ल्यु.जी की बैठक में एन.सी.सी.डी ने भाग लिया। भारत-इज़राइल संचालन समिति के सदस्य के रूप में एन.सी.सी.डी ने भारत-इज़राइल
कार्य योजना के तीसरे चरण के विकास पर चर्चा का नेतृत्व किया,जिसमें पोस्ट-फसल प्रबंधन और बाजार लिंकेज शामिल होगा। अगस्त, 2015 में आंध्र प्रदेश सरकार ने सी.ई.ओ-एन.सी.सी.डी को राज्य के लिए कृषि-लॉजिस्टिक प्लानिंग में मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित किया।

एन.सी.सी.डी ने अंतरराष्ट्रीय प्रशीतन संस्थान (आई.आई.आर) के साथ सक्रिय जुड़ाव के लिए अपनी सिफारिश दोहराई । भारत आई.आई.आर के संस्थापक देशों में से एक है और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और बाद में इस अवधि को छोड़कर, यह 2000 तक आई.आई.आर का सदस्य रहा है । वर्ष 1965 से 2000 तक सदस्य देश की भागीदारी सी.एस.आई.आर के माध्यम से थी । वर्ष 2011 में कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2000 से बकाया भुगतान करके भारत की सदस्यता को नवीनीकृत किया । आई.आई.आर में 58 देशों की भागीदारी है, जो दुनिया की एक तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। एन.सी.सी.डी ने भविष्य में आई.आई.आर के साथ नियमित बातचीत के लिए बागवानी प्रभाग हेतु संसाधनों का आवंटन करने की सिफारिश की है।

www.nccd.gov.in
011-23329586

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

दूसरा तल, बी-विंग, जनपथ भवन, नई दिल्ली -110001

यह तथ्य है कि एन.सी.सी.डी द्वारा लाया गया देश में प्रशीतित ट्रकों का कोई अलग रिकॉर्ड नहीं है। यह सिफारिश की गई थी कि रिकॉर्ड बनाए रखने और कोल्ड-चेन के इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के घटक को लक्षित समर्थन को सक्षम करने के लिए किए गए रिफर वाहन को पंजीकृत करने का प्रावधान हो। तदनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा डीएसी और एनसीसीडी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रशीतित ट्रकों के पंजीकरण के लिए अनुरोध किया गया था और न्यूनतम दिशानिर्देशों की प्रतियां प्रदान की गई थीं। व्यावसायिक बागवानी के लिए रेलवे के उपयोग के बारे में एन.एच.बी. (आर.आई.टी.ई.एस. के माध्यम से) हॉर्टी-ट्रेन पर चल रहे अध्ययन की स्थिति की समीक्षा एन.सी.सी.डी के इनपुट के साथ की गई थी। बागवानी आयुक्त और डी.डी.जी (बागवानी) के साथ बैठकों में शीतल भंडारण में सौर ऊर्जा के उपयोग की समीक्षा भी की गई। कृषि मंत्रालय की छत पर सौर ऊर्जा का मूल्यांकन भी एनसीसीडी द्वारा किया गया था। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, डॉ. चिदंबरम ने एन.सी.सी.डी के साथ एलएनजी पुनर्रचना टर्मिनलों पर क्रायोजेनिक रिकवरी के विकल्पों को समझने के लिए बैठकें कीं।

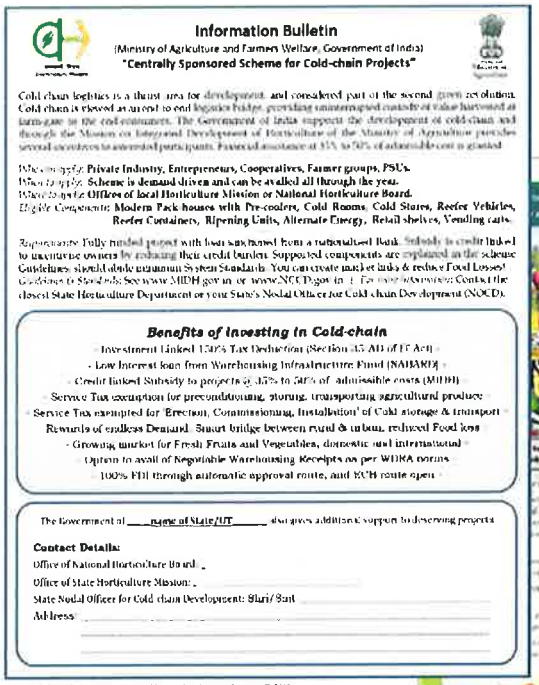

कोल्ड-चेन और एग्री-लॉजिस्टिक्स के विभिन्न पहलुओं पर नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बातचीत की गई। सहायक सचिवों के साथ कोल्ड-चेन पर बातचीत के लिए डी.ए.सी. और एफ.डब्ल्यु ने एन.सी.सी.डी को कार्य सौंपा।

एम.आई.डी.एच. के कार्यकारी समिति ने इच्छा जताई थी कि राज्य बागवानी मिशनों को पी.एच.एम अवसंरचना की स्थापना के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में समान प्रचार सुनिश्चित करना चाहिए । एन.सी.सी.डी ने आवश्यक सूचना बुलेटिन तैयार किया था जिसे कार्रवाई के लिए एम.आई.डी.एच. द्वारा एम.एच.एम को वितरित किया गया था।

Information Bulletin

(Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India)

"Centrally Sponsored Scheme for Cold-chain Projects"

Cold chain logistics is a thrust area for development, and considered part of the second green revolution.

Private Industry, Entrepreneurs, Cooperatives, Farmer groups, PSUs.

Scheme is demand driven and can be availed all through the year.

Offices of local Horticulture Mission or National Horticulture Board.

Eligible Components: Modern Pack houses with Pre-coolers, Cold Rooms, Cold Stores, Reefer Vehicles, Reefer Containers, Ripening Units, Alternate Energy, Retail shelves, Vending carts.

Contact the closest State Horticulture Department or your State's Nodal Officer for Cold chain Development (NOCD).

Benefits of Investing in Cold-chain

- Investment Linked 150% Tax Deduction (Section 35 AD of IT Act)
- Low Interest loan from Warehousing Infrastructure Fund (NABARD)
- Credit linked Subsidy to projects @ 35% to 50% of admissible costs (MIDH)
- Service Tax exemption for preconditioning, storing, transporting agricultural produce
- Service Tax exempted for 'Erection, Commissioning, Installation' of Cold storage & transport
- Rewards of endless Demand. Smart bridge between rural & urban, reduced Food loss
- Growing market for Fresh Fruits and Vegetables, domestic and international
- Option to avail of Negotiable Warehousing Receipts as per WDRA norms
- 100% FDI through automatic approval route, and ECB route open

The Government of ____name of State/UT____ also gives additional support to deserving projects

Contact Details:

Office of National Horticulture Board:

Office of State Horticulture Mission:

State Nodal Officer for Cold chain Development: Shri/ Smt

Address:

एन.सी.सी.डी ने इस आयोजन में थीम मंडप के डिजाइन में सहायता करने के अलावा, कृषि उन्नति के लिए एम.आई.डी.एच के लिए ब्रोशर और पैम्फलेट भी तैयार किए।

यह एन.सी.सी.डी सचिवालय में तैयार किया गया था। एनसीसीडी टीम ने एमआईडीएच योजना पर विज्ञापन भी तैयार किए हैं जो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में बागवानी विभाग द्वारा शुरू किए गए जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में हैं।

एन.सी.सी.डी ने कोल्ड-चेन विकास के संदर्भ में बजटीय सिफारिशों के संबंध में डी.ए.सी. एवं एफ.डब्ल्यु को वार्षिक इनपुट प्रदान किए । केंद्रीय बजट 2015-16 के दौरान एन.सी.सी.डी के प्रयासों को पहचानने और कोल्ड-चेन में अधिक ज्ञान साझा करने की आवश्यकता में, यह घोषणा की गई थी कि एन.सी.सी.डी को ज्ञान प्रसार गतिविधियों के माध्यम से सेवा कर से छूट दी जाएगी, जो कि 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी है।

कोल्ड-चेन पर सी.आई.आई-नेशनल टास्क फोर्स ने उद्योग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए कोल्ड-चेन पॉलिसी डेवलपमेंट के विभिन्न पहलुओं पर सीईओ-एनसीसीडी के साथ बातचीत करने के लिए एक सत्र की शुरुआत की, जो वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है। लॉजिस्टिक्स पर पी.एच.डी टास्क फोर्स भी एनसीडी के साथ लगातार बातचीत करता है । एम.आई.डी.एच की एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी के रूप में एन.सी.सी.डी ने वार्षिक कार्य योजना हेतु किए गए आबंटन से रु.267.95 लाख का व्यय किया।

आई. एन.सी.सी.डी - उद्देश्य और विषयपरक

एन.सी.सी.डी एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है, जो स्वायत तरीके से कोल्ड-चेन पर एक प्रबुद्ध मंडल(थिंक-टैंक) के रूप में कार्य करती है, और सरकार के लिए बिना किसी लागत के सार्वजनिक-निजी-साझेदारी के तहत काम करता है। प्रारंभिक पूंजी सरकार द्वारा प्रदान की गई थी और एन.सी.सी.डी के उद्देश्य संस्तुति, सुझाव देना, आकलन करना और समन्वय करना, सुविधा देना और निम्नलिखित को बढ़ावा देना है :

o पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन सहित कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर / बिल्डिंग के लिए मानकों और प्रोटोकॉल की सिफारिश करना ताकि अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके और कोल्ड-चेन उद्योग द्वारा प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे / भवन, प्रक्रिया और सेवाओं के बैंचमार्किंग और प्रमाणन के लिए तंत्र का सुझाव दिया जा सके।

o संभावित निवेशकों /उद्यमियों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सांकेतिक दिशानिर्देश सुझाव देना।

o कोल्डचेन संरचना के लिए उपयुक्त आईटी आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली का आकलन और विकास करना।

o हितधारकों के साथ परामर्श से कोल्ड-चेन उद्योग के विकास हेतु अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए आवश्यक कार्य और समन्वय करना।

o मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी) और क्षमता निर्माण के कार्य को शुरू करने और समन्वय करना । यह कोल्ड-चेन विकास के लिए प्रासंगिक इन-हाउस ट्रेनिंग, अल्पकालिक / दीर्घकालिक पाठ्यक्रम भी संचालित कर सकता है।

o एकीकृत कोल्ड-चेन के लाभों के बारे में जागरूकता निर्माण सहित हितधारकों को शिक्षित करने के लिए प्रचार अभियान शुरू करना ।

o कोल्ड-चेन के विकास से संबंधित उपयुक्त नीति ढांचे की सिफारिश करना।

o विनश्वर कृषि, बागवानी और संबद्ध वस्तुओं हेतु बहु-मोडल परिवहन सुविधाओं के विकास को सुविधाजनक बनाना और बढ़ावा देना और पेरिशबल कमोडिटीज के लिए नेशनल ग्रीन ग्रिड की स्थापना करना।

www.nccd.gov.in
011-23329586

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

दूसरा तल, बी-विंग, जनपथ भवन, नई दिल्ली -110001

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र (एन.सी.सी.डी)

जे. एन.सी.सी.डी की कार्यकारिणी **मार्च, 2016**

क्र.	नाम	सोसायटी में पदनाम
1	सचिव, कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग , कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	अपर सचिव (बागवानी प्रभार) , कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	समिति के सदस्य (01/07/2013 को जी.सी.द्वारा स्वीकृत)
3	कृषि विपणन सलाहकार और संयुक्त सचिव(विपणन), कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग , कृषि भवन, नई दिल्ली	समिति के सदस्य
4	संयुक्त सचिव (MIDH), कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली	समिति के सदस्य(01/07/2013 को जी.सी द्वारा स्वीकृत)
5	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 85, संस्थागत क्षेत्र, सेक्टर 18, गुड़गांव, हरियाणा	समिति के सदस्य
6	रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष रैंक से नीचे नहीं) रेल भवन, नई दिल्ली	समिति के सदस्य
7	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव के प्रतिनिधि, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित सदस्य (25.7.14 को सचिव ए.सी. एवं एफ.डब्ल्यु द्वारा अनुमोदित)
8	सचिव, पशुपालन ,डेयरी और मत्स्य पालन विभाग (डीएएचडीएफ), कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित सदस्य (25.7.14 को सचिव ए.सी. एवं एफ.डब्ल्यु द्वारा अनुमोदित)
9	प्रबंध निदेशक, केंद्रीय भंडारण निगम 4/1, सिरी फोर्ट संस्थागत क्षेत्र हौज खास, नई दिल्ली -110016	समिति का सदस्य
10	श्री पी. रविचंद्रन कोल्ड-चेन पर सीआईआई टास्क फोर्स के अध्यक्ष भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ(CII) -एफएसीई, ग्राउंड फ्लोर, कोर 4 ए इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003	समिति का सदस्य
11	श्री एम एल अरोड़ा मुख्य कार्यकारी अधिकारी फ्रेश एंड हेल्थी इंटरप्राइजेज लिमिटेड कॉनकोर एच.एस.आई.आई.डी.सी औद्योगिक एस्टेट, राय, सोनीपत -131029 (हरियाणा)	समिति का सदस्य
12	निदेशक, एनसीसीडी	सदस्य सचिव

(एन.सी.सी.डी के उपनियमों के अनुसार अन्यथा कोष्ठक में नहीं कहा जाता है)

www.nccd.gov.in
011-23329586

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

दूसरा तल, बी-विंग, जनपथ भवन, नई दिल्ली -110001

के. एन.सी.सी.डी की शासी(गवर्निंग) परिषद **मार्च, 2016**

क्र.	नाम	सोसायटी में पदनाम
1	सचिव, कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन अध्यक्ष
2	वित्तीय सलाहकार कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य(2.3.15 को सचिव - ए.सी. एवं एफ.डब्ल्यु द्वारा अनुमोदित)
3	महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस) मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली -110002	पदेन सदस्य
4	कृषि विपणन सलाहकार और संयुक्त सचिव (विपणन), कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
5	संयुक्त सचिव (एम.आई.डी.एच), कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
6	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव के प्रतिनिधि, (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं) पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
7	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, 85, सेक्टर 18,गुड़गांव, हरियाणा	पदेन सदस्य
8	रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष रैंक से नीचे नहीं), रेल भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
9	अध्यक्ष - ए.पी.ई.डी.ए एन.सी.यू.आई भवन, 3 संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
10	प्रबंध निदेशक केंद्रीय भंडारण निगम 4/1, सिरी फोर्ट इंस्टीटयूशनल एरिया हौज खास, नई दिल्ली -110016	पदेन सदस्य
11	भारत सरकार द्वारा नामित डीएसी द्वारा मनोनीत दो अलग-अलग राज्यों के एपीसी / प्रधान सचिव / सचिव (कृषि / बागवानी /विपणन)	भारत सरकार द्वारा नामित
12	भारत सरकार द्वारा नामित डीएसी द्वारा मनोनीत दो अलग-अलग राज्यों के एपीसी / प्रधान सचिव / सचिव (कृषि / बागवानी /विपणन)	भारत सरकार द्वारा नामित
13	कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन चैंबर ऑफ़ कॉमर्स (सीआईआई) के प्रतिनिधि- कोल्ड-चेन पर सी.आई.आई. टास्क फोर्स के अध्यक्ष 23, संस्थागत क्षेत्र, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003	सदस्य
14	निदेशक, एन.सी.सी.डी	सदस्य सचिव

(एन.सी.सी.डी.के उप-नियमों के अनुसार, जब तक अन्यथा न कहा जाए)

www.nccd.gov.in
011-23329586

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

दूसरा तल, बी-विंग, जनपथ भवन, नई दिल्ली -110001

एल. 2015-16 में एनसीसीडी की प्रत्यक्ष भागीदारी वाले कार्यक्रम, सम्मेलन और बातचीत

दिनांक	स्थान	विषय	मुख्य आयोजक
7 मई 15	दिल्ली	वेयरहाउसिंग और रसद एसोचैम पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन	एएसएसओसीएचएएम
25-26 मई,15	गंगटोक	आईसीसी नेशनल कोल्ड चेन समिट	आईसीसी - एमओएफपीआई - एनसीसीसडी
16-17 जून -15	हेग, नीदरलैंड	ग्लोबल समिट "नो मोर फूड टू वेस्ट " के अध्यक्ष / सह अध्यक्ष कार्यशाला	एफएओ / यूएनईपी
2-जुलाई,15	आईएचसी, दिल्ली	सीआईआई-सीईओ के सीईओ-एनसीसीडी सीआईआई -एफएसीई के साथ सहभागिता	सीआईआई-एफएसीई
10-जुलाई-15	नई दिल्ली	एचएफसी एमओईएफ के हितधारकों की बैठक-फेस -डाउन	एमओईएफ
14 जुलाई -15	लंदन, ब्रिटेन	सतत रूप से वैश्विक खाद्य संकट को पूरा करना - हाउस लॉर्ड्स में एक बहस,	यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स
15 जुलाई -15	लंदन, ब्रिटेन	कोल्ड-चेन पर यूके नीति आयोग	बर्मिंघम विश्वविद्यालय
29-जुलाई -15	जयपुर	एनआईएएम में एनसीसीडी विद्यार्थी चैप्टर का शुभारंभ	एनआईएएम – एनसीसीडी
10-11 अगस्त - 15	आईएसबी, हैदराबाद	कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं पर कार्यशाला - आंध्र प्रदेश, योजना विभाग,	आंध्र प्रदेश सरकार
3-सितंबर -15	नई दिल्ली	राज्य मंत्री (कृषि) के साथ एआईसीआईसी अध्ययन का सार्वजनिक विमोचन	एसी एंड एफडब्ल्यू - एनसीसीडी
18-सितंबर -15	नई दिल्ली	8वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार	कृषि आज
7-अक्टूबर,15	नई दिल्ली	सीआईआई-सीईओ की सीईओ -एनसीसीडी के साथ बातचीत: आसान कोल्ड-चेन बिजनेस करना	सीआईआई-एफएसीई – एनसीसीडी
20-अक्टूबर-15	आई.एच.सी, दिल्ली	एफपीआई वित्तपोषण पर चर्चा करने के लिए हितधारक परामर्श बैठक	एमओएफपीआई
23-अक्टूबर -15	दिल्ली	कोल्ड-चेन का महत्व और विशेषज्ञता संचालित नीति	रोटरी क्लब
26-अक्टूबर-15	दिल्ली	सीईओ-एनसीसीडी और ब्रिटेन -भारत औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास, पैकिंग, आदि पर ब्रिटेन से प्रमुख विशेषज्ञों के साथ बातचीत	ब्रिटिश आयोग
27-अक्टूबर-15	फिक्की, दिल्ली	भारत पी.पी.पी शिखर सम्मेलन - कोल्ड-चेन में वी.जी.एफ	एफआईसीसीआई
17-18 नवंबर -15	चंडीगढ़	आई.सी.ई एक्सपो. 2015 और पुरस्कार	आईसीई – एनसीसीडी-डानफॉस
26-नवंबर -15	पी.एच.डी, दिल्ली	कोल्ड-चेन और एफ.पी.आई के लिए स्ट्रक्चरिंग पीपीपी मॉडल	पीएचडी-एमओएफपीआई-एनसीसीडी
29-नवंबर-15	लखनऊ	कृषि कमोडिटी वैल्यू चेन के वित्तपोषण : चुनौतियां और अवसर पर नाबार्ड की राष्ट्रीय संगोष्ठी	बर्ड-नाबार्ड
4-दिसंबर -15	नई दिल्ली	भारत कृषि व्यवसाय नेतृत्व परिषद	आई.एल.एफ.आई
29- जनवरी -16	जयपुर	एन.सी.सी.डी विद्यार्थी चैप्टर्स बातचीत	एम.आई.ए.एम -एन.सी.सी.डी
4-फरवरी-16	नई दिल्ली	भारत का फाइटोन्यूट्रिएंट उपभोग: मांग और आपूर्ति स्थिति की एक परीक्षा	आई.सी.आर.आई.ई.आर.

www.nccd.gov.in
011-23329586

9-फरवरी -16	उदयपुर	गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन एजीएम	जीसीएसए
11 फरवरी -16	एफ.आई.सी.सी.आई, दिल्ली	भारत-अफ्रीका एग्रीबिजनेस फोरम	एफआईसीसीआई
14-16 फरवरी 16	शिलॉन्ग	संसदीय स्थायी समिति	एम.आई.डी.एच
16 फ़रवरी-16	गुवाहाटी	एन.सी.सी.डी हितधारकों की बैठक	एम.आई.डी.एच-एन.सी.सी.डी
19-फरवरी -16	ए.पी.ई.डी.ए, दिल्ली	एपीडा कार्यशाला - एपीडा अधिकारियों को प्रशिक्षण	ए.पी.ई.डी.ए - एन.सी.सी.डी
26 -फरवरी - 16	मुंबई	ए.सी.आर.ई.एक्स हॉल ऑफ फेम	आई.एस.एच.आर.ए.
27-फरवरी -16	पुणे	8वीं अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टी एक्सपो 2016 - मीडिया टुडे	एमटीजी - एनसीसीडी
7-मार्च -16	गुड़गांव	हरियाणा इन्वेस्टर्स समिट 2016	हरियाणा सरकार
8-मार्च -16	दिल्ली	अंतर्राष्ट्रीय क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग सम्मेलन -सीईओ उद्घाटन भाषण	अंतर्राष्ट्रीय क्रायोजेनिक परिषद
18-मार्च-16	आई.एच.सी, दिल्ली	ए.सी.आर.ई.सी.ओ.एन.एफ 2016	आई.एस.एच.आर.ए.ई.-एन.सी.सी.डी
28-29 मार्च-16	बांडुंग, इंडोनेशिया	ज्ञान प्रसार में पीपीपी मॉडल पर एशियाई खाद्य और कृषि व्यवसाय सम्मेलन - एशियाई उत्पादकता परिषद	एपीओ, टोक्यो

www.nccd.gov.in
011-23329586

एम. प्रयुक्त संक्षेप और परिभाषाएँ

ए.पी.ई.डी.ए - कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का उपयोग निर्यात को विकसित करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के तहत किया जाता है, और कोल्ड-चेन अवसंरचना विकास का भी समर्थन करता है।

सी.आई.आई भारत का उद्योग परिसंघ : सी.आई.आई अपने खाद्य और कृषि उत्कृष्टता केंद्र (एफ.ए.सी.ई) के माध्यम से एन.सी.सी.डी सचिवालय के साथ मिलकर काम करता है, और एन.सी.सी.डी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एन.सी.सी.डी के अंग के रूप में सीधे शामिल होता है।

डी.ए.सी - कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय।

ई.सी. - कार्यकारिणी अथवा कार्यकारी समिति: वह समिति जो किसी संगठन की कार्यकारी कार्रवाइयों पर निर्णय करती है।

एफ.ए.ओ - संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन

एफ.पी.ओ - किसान उत्पादक संगठन: जहां किसानों का एक समूह अपने उद्यम स्तर के संचालन के लिए एक संस्थागत संरचना बनाता है।

जी.सी - शासी परिषद(गवर्निंग काउंसिल) : वह परिषद जो कार्यकारी की देखरेख करती है और नीतिगत फैसले लेती है।

एल.एन.जी - तरलीकृत प्राकृतिक गैस: निकाले गए गैस को परिवहन और भंडारण में आसानी के लिए माइनस 161° C तक ठंडा किया जाता है। अंत में उपयोग से पहले तरल को फिर गैस प्रारूप में वापस गर्म किया जाता है।

एम.आई.डी.एच - एकीकृत बागवानी विकास मिशन: 2014 में लॉन्च किया गया, यह मिशन बागवानी पर पिछली सभी योजनाओं को पूरा करता है ताकि समग्र परिणामों के लिए गतिविधियों को एकीकृत और प्रोजेक्ट किया जा सके।

एम.ओ.पी.आई - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय: कोल्ड चेन सब्सिडी कार्यक्रमों को भी लागू करता है।

नाबार्ड(एन.ए.बी.ए;आर.डी.)- नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट

एन.सी.सी.डी-नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड-चेन डेवलपमेंट: सार्वजनिक और निजी हितधारकों की एक सोसाइटी, कृषि मंत्रालय द्वारा प्रारंभिक पूंजी प्रदान की गई और सरकार के लिए बिना किसी लागत के प्रबंधित , सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में स्वायत्त तरीके से कार्यनिष्पादन करना।

एन.एच.बी-राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड : एम.आई.डी.एच की केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी।

एम.एच.एम- राष्ट्रीय बागवानी मिशन: एम.आई.डी.एच की उप-योजना।

एन.एल.ए- राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी: तकनीकी और ज्ञान सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ एम.आई.डी.एच द्वारा पहचाने गए संगठन। एनएलएएस योजना को लागू नहीं करता हैं लेकिन किसी कार्य योजना की स्वीकृति के बाद विशिष्ट कार्यों का समर्थन करने के लिए संसाधन आवंटित किए जाते हैं।

एन.ओ.सी.डी कोल्ड-चेन विकास के लिए नोडल अधिकारी: राज्य मिशनों द्वारा अनुरोध किया जाता है कि एन.सी.सी.डी के साथ कोल्ड चेन मामलों पर सम्पर्क और समन्वय करने के लिए अधिकारियों को नामित किया जाए।

पी.पी.पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आमतौर पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देखा जाता है जहां एक रियायतकर्ता भूमि और धन के रूप में सरकारी समर्थन का उपयोग करता है, और रियायत अवधि के अंत में सरकार को परियोजना वापस कर देता है। एन.सी.सी.डी के मामले में, इसका एक अर्थ यह है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र संयुक्त नेतृत्व संरचना के माध्यम से संचालन और कार्यों को संयुक्त रूप से प्रबंधित करते हैं, जहां प्रशासन सरकार के अधीन है और कार्यकारी निर्णय उद्योग के नेतृत्व में है।

एसएच्एम राज्य बागवानी मिशन : एम.आई.डी.एच की केंद्रीय प्रायोजित गतिविधियों की राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी।

डब्ल्यूडीआरए: वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी

www.nccd.gov.in
011-23329586

ए.पी.एन एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

4232/1, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली - 110002
फोन : 23261100; 23263598; फैक्स : 43518988,
ईमेल: apn_associates@yahoo.in, jn50@rediffmail.com

फार्म नं.10बी

[नियम 17बी देखें]

जनरल पब्लिक यूटिलिटी के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए(बी) के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2016 को राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र, नई दिल्ली के तुलनपत्र की जांच की है और उस वर्ष के लिए आय और व्यय का खाता उस तारीख को समाप्त हो गया है, जो उक्त सोसायटी द्वारा बनाए गए खाते की पुस्तकों के अनुसार है । वित्तीय विवरणों के रखरखाव और यथार्थता की सोसायटी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।

हमारी राय में, खातों की उचित पुस्तकें प्रधान कार्यालय और शाखाओं-NIL हैं, पुस्तकों की हमारी परीक्षा के लिए उपर्युक्त सोसायटी को हमारे द्वारा अब तक देखी गई और लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए शाखाओं से पर्याप्त रिटर्न नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन प्राप्त हुआ है:

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के लिए और हमें दी गई जानकारी के अनुसार उक्त खाते सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रकट करते हैं:

(क) उपर्युक्त नामतः सोसायटी के मामलों की स्थिति के रूप में तुलनपत्र की स्थिति के मामले में
(ख) आय और व्यय खाते मामले में, समाप्त वर्ष हेतु निर्धारिती अधिशेष

स्थान : दिल्ली
दिनांक: 15 -09 -2016

कृते **ए.पी.एन एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन : 001876 एन
हस्ता./-

(सी.ए जितेन्द्र नाथ)
पार्टनर
एम.नं : 015549

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र
31 मार्च, 2016 को तुलन-पत्र

(रुपए)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
पूंजीगत निधि एवं देयताएं :			
पूंजीगत निधि	1	2500,00,000	2500,00,000
सामान्य निधि (आरक्षित एवं अधिशेष)	2	505,42,481	344,25,163
आई.टी.अधिनियम के यू/एस11 (2) सेट एसाइड		183,10,095	179,43,350
चालू देयताएं	3	72,20,892	66,91,649
स्थायी परिसंपत्तियां - कॉन्ट्रा, कॉर्पस		33,063	57,098
स्थायी परिसंपत्तियां - कॉन्ट्रा, एन.एल.ए.		8,39,231	3,81,633
कुल		**3269,45,762**	**3094,98,893**
परिसंपत्तियां :			
स्थायी परिसंपत्तियां - कॉन्ट्रा, कॉर्पस	4	33,063	57,098
स्थायी परिसंपत्तियां - कॉन्ट्रा, एन.एल.ए.	4	8,39,231	3,81,633
निवेश - मियादी जमा	5	3085,58,860	2783,76,760
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	6	175,14,608	306,83,402
कुल		**3269,45,762**	**3094,98,893**
खातों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स	10		

संलग्न तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.पी.एन. एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन : 001876N

कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

(सी.ए.जितेंद्र नाथ)
भागीदार
सदस्यता संख्या 015549

(के.के. ढींगरा)
सलाहकार वित्त

(पवनेष कोहली)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(शकील अहमद)
निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
तिथि : 15.09.2016

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाता

(रुपए)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु
आय :			
सदस्यता अंशदान		16,97,046	25,48,154
अर्जित ब्याज	7	275,03,172	263,26,104
अन्य आय	8	22,92,680	45,80,000
कुल (ए)		**314,92,898**	**334,54,258**
राजस्व व्यय :			
स्थापना (वेतन एवं मजदूरी)		72,89,365	76,90,084
प्रशासनिक व्यय	9	11,69,503	27,86,285
पूंजीगत व्यय :			
स्थायी परिसंपत्तियां	4	-	16,400
कुल (बी)		**84,58,868**	**104,92,769**
व्यय से अधिक आय(ए-बी)		**230,34,030**	**229,61,489**
घटाएं : जनरल रिजर्व में अंतरण		47,23,935	50,18,139
आई.टी.अधिनियम के यू/एस11 (2) सेट एसाइड		183,10,095	179,43,350

खातों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स 10

संलग्न तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.पी.एन. एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन : 001876N

कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

(सी.ए.जितेंद्र नाथ)
भागीदार
सदस्यता संख्या 015549

(के.के. ढींगरा)
सलाहकार वित्त

(पवनेष कोहली)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(शकील अहमद)
निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
तिथि : 15.09.2016

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

31 मार्च, 2016 को वित्तीय विवरणों के रूप में अनुसूची का हिस्सा

अनुसूची 1 : पूंजीगत निधि

(रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	2500,00,000	2500,00,000
कुल	**2500,00,000**	**2500,00,000**

अनुसूची 2 : सामान्य निधि (आरक्षित एवं अधिशेष)

(रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार आरंभिक शेष	344,25,163	333,79,016
जोड़े : व्यय से अधिक आय	47,23,935	50,18,139
जोड़े : आई.टी.अधिनियम के यू/एस11 (2) सेट एसाइड (वि.व. 2014-15)	179,43,350	-
घटाएं : पिछले वर्ष से संबंधित आयकर/टीडीएस समायोजन	65,49,967	39,71,992
कुल	**505,42,481**	**344,25,163**

अनुसूची 3 : चालू देयताओं का विवरण

(रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
विविध लेनदार	2,65,714	7,37,668
देय खर्चे	37,49,905	53,81,517
एन.एल.ए.(देययोग्य)	32,05,273	-
अन्य चालू देयताएं	-	5,72,464
कुल	**72,20,892**	**66,91,649**

अनुसूची 5 : निवेश - मियादी जमा

(रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर और आईसीआईसीआई बैंक के साथ सावधि जमा (अर्जित ब्याज सहित)	3085,58,860	2783,76,760
कुल	**3085,58,860**	**2783,76,760**

अनुसूची 6- चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

(रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
ए. चालू परिसंपत्तियां :		
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर खाते में बैलेंस	148,07,425	250,69,688
बी. ऋण एवं अग्रिम		
टीडीएस वित्त वर्ष 2014-15		25,44,527
टीडीएस वित्त वर्ष 2015-16	26,78,895	
प्रशिक्षण के लिए बकाया(डानफोस)	27,000	
कार्यालय अग्रदाय(इम्प्रेस्ट)	1,288	1,938
सी. प्राप्तयोग्य एन.एल.ए. निधि	-	30,67,249
कुल	**175,14,608**	**306,83,402**

अनुसूची 7- अर्जित ब्याज

(रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर और आईसीआईसीआई बैंक के साथ सावधि जमा पर ब्याज	267,89,350	254,44,725
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर खाते में बैलेंस पर ब्याज	7,13,822	8,81,379
कुल	**275,03,172**	**263,26,104**

अनुसूची 8- अन्य आय

(रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु
परियोजना समीक्षा(अप्रेजल)	22,80,000	45,80,000
विविध(पश्चिम बंगाल सरकार से)	12,680	-
कुल	**22,92,680**	**45,80,000**

अनुसूची 9-प्रशासनिक खर्चे

(रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्यालय खर्चें	25,091	10,630
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	22,093	6,14,292
टूर एवं ट्रवेल्स	-	1,14,084
कार्टेज	40,759	41,964
बैठक एवं सेमीनार खर्चें	5,064	97,126
टेलीफोन एवं इंटरनेट	84,583	72,914
चिकित्सा बीमा	27,798	25,000
प्रोफेशनल प्रभार	7,59,645	5,30,071
विविध खर्चें	82,388	4,490
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	5,682	3,924
परिवहन प्रभार	14,923	6,21,928
मरम्मत एवं अनुरक्षण	-	31,819
बैंक प्रभार	812	937
कर्मचारी कल्याण	43,665	90,760
प्रशिक्षुओं को वजीफा	31,000	23,226
आयकर मांग(मू. व. 2012-13 एवं 2013-14)	26,000	5,03,120
कुल	**11,69,503**	**27,86,285**

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

31 मार्च, 2016 को वित्तीय विवरणों के रूप में अनुसूची का हिस्सा

अनुसूची 4 स्थायी परिसंपत्तियां - कॉर्पस

(रुपए)

विवरण	ब्लॉक	डब्ल्यूडीवी	जोड़े(एडीशन्स)		कुल	मूल्यह्रास	डब्ल्यूडीवी
		1.4.2015 को	30.9.15 तक	30.9.15 के बाद	31.3.2016 को	वर्तमान वर्ष हेतु	31.3.2016 को
वाटर डिस्पेंसर	15%	6,349	-	-	6,349	952	5,397
माइक्रोवेव	15%	7,966	-	-	7,966	1,195	6,771
मोबाइल	15%	8,404	-	-	8,404	1,261	7,143
उप-योग		**22,719**	**-**	**-**	**22,719**	**3,408**	**19,311**
कंप्यूटर्स	60%	20,657	-	-	20,657	12,394	8,263
लैपटॉप	60%	7,162	-	-	7,162	4,297	2,865
सॉफ्टवेयर(टेली)	60%	6,560	-	-	6,560	3,936	2,624
उप-योग		**34,379**	**-**	**-**	**34,379**	**20,627**	**13,752**
कुल		**57,098**	**-**	**-**	**57,098**	**24,035**	**33,063**

अनुसूची 4 स्थायी परिसंपत्तियां - एन.एल.ए.

(रुपए)

विवरण	ब्लॉक	डब्ल्यूडीवी	जोड़े(एडीशन्स)		कुल	मूलह्रास	डब्ल्यूडीवी
		1.4.2015 को	30.9.15 तक	30.9.15 के बाद	31.3.2016 को	वर्तमान वर्ष हेतु	31.3.2016 को
फर्नीचर	10%	-	2,06,493	-	2,06,493	20,650	1,85,843
उप-योग		**-**	**2,06,493**	**-**	**2,06,493**	**20,650**	**1,85,843**
कॉर्डलेस फोन	15%	73,339	-	-	73,339	11,001	62,338
एलसीडी स्क्रीन	15%	50,362	-	-	50,362	7,554	42,808
स्कैनर/फोटोकॉपियर	15%	38,675	-	-	38,675	5,801	32,874
टेबलेट्स	15%	42,075	-	-	42,075	6,311	35,764
मोबाइल	15%	-	22,400	54,500	76,900	7,448	69,452
रेफ्रिजेरेटर	15%	-	13,600	-	13,600	2,040	11,560
एयर कंडीशनर	15%	-	1,69,931	-	1,69,931	25,490	1,44,441
लेमिनेशन मशीन	15%	-	-	6,000	6,000	450	5,550
उप-योग		**2,04,451**	**2,05,931**	**60,500**	**4,70,882**	**66,095**	**4,04,787**
प्रिंटर	60%	10,880	19,500	-	30,380	18,228	12,152
लैपटॉप	60%	1,66,302	69,500	1,91,900	4,27,702	1,99,051	2,28,651
सॉफ्टवेयर(प्रेजी)	60%	-	-	11,140	11,140	3,342	7,798
उप-योग		**1,77,182**	**89,000**	**2,03,040**	**4,69,222**	**2,20,621**	**2,48,601**
कुल		**3,81,633**	**5,01,424**	**2,63,540**	**11,46,597**	**3,07,366**	**8,39,231**

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

31 मार्च, 2016 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में लेखांकन नीतियां और लेखे पर टिप्पणियां

नोट 10

लेखांकन नीतियां

1) खातों को लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली के अनुसार एक ऐतिहासिक कॅन्सर्न के आधार पर तैयार किया जाता है और क्रमिक आधार आय एवं व्यय को मान्यता देता है । लेखांकन नीतियों को विशेष रूप से अन्यथा संदर्भित नहीं किया जाता है, जो आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं ।

2) वर्ष के दौरान अधिग्रहित स्थायी परिसंपत्तियां खरीद के वर्ष में आय एवं व्यय खाते में प्रभारित की जाती हैं और साथ ही प्रत्यक्ष और वित्तीय नियंत्रण के लिए स्थायी परिसंपतियों के तहत तुलन-पत्र में अंतरित की जाती हैं ।

3) निवेशों का लागत पर मूल्य होता है ।

4) एम.आई.डी.एच. योजनाओं के तहत प्राप्त एन.एल.ए. निधियों का अलग से लेखा-जोखा और अनुमोदित गतिविधियों हेतु उपयोग किया जाता है ।

लेखे पर टिप्पणियां (नोट्स ऑन अकाउंट्स)

1) सोसायटी ने वित्त वर्ष 2014-15 में आयकर अधिनियम की धारा 11(2) के तहत रु.1,79,43,350/- का संचय किया है, जिसे वित्त वर्ष 2015-16 में वापस किया गया है क्योंकि इसे उस वर्ष में संचित धनराशि पर आयकर का भुगतान किया है ।

2) सोसायटी आयकर अधिनियम की धारा 12एए के तहत पंजीकृत है और चूंकि आई.टी. अधिनियम की धारा 11 के तहत सोसायटी की आय में छूट है, इसलिए वित्त वर्ष 2015-16 के लिए आयकर का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है, इसके अलावा इसने वित्त वर्ष 2015-16 में आई.टी. अधिनियम की धारा 11(2) के तहत रु.1,83,10,095/- का संचय किया है, जिसका पांच वर्षों में उपयोग किया जाएगा ।

3) सोसायटी को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय से वित्त वर्ष 2015-16 में रु. 3,00,00,000/-(रुपए तीन करोड़) प्राप्त हुआ, जिसमें से दिनांक 31-03-2016 तक रु.2,67,94,727/- को अनुमोदित गतिविधियों पर खर्च किया गया था और शेष राशि रु.32,05,273/- अप्रयुक्त रही ।

4) एन.सी.सी.डी. ने एमआईडीएच योजना के तहत वित्त वर्ष 2015-16 में परियोजना मूल्यांकन समिति और स्थल दौरा के द्वारा 114 परियाजनाओं के मूल्यांकन/निरीक्षण हेतु रु. 22,80,000/- की आय दर्ज की है ।

5) पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है, जहां आवश्यक है ।

अंकित तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.पी.एन. एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन : 001876एन

कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

(सी.ए. जितेंद्र नाथ)	(के.के. ढींगरा)	(पवनेष कोहली)	(शकील अहमद)
भागीदार	**सलाहकार वित्त**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**	**निदेशक**
सदस्यता संख्या 015549			

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक :15.09.2016